मेहनतकशों का पैग़ाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 R.N.I. No. 66400/97

जांच समिति की रिपोर्ट से और गहरा हुआ बोर्ड पर लगा दाग 3
क्या दंगाई देश का प्रधानमंत्री बनेगा? 4
मारुति सुजुकी के मज़दूरों के बर्बर दमन के विरोध में प्रदर्शन 6
मिड–डे–मील के बाद : आयरन गोलियों ने खोली सरकार की पोल 8

वर्ष 26 अंक 18 फरीदाबाद, वीरवार, 1-15 अगस्त 2013 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

शिक्षा का सफ़ाया पूरी तेज़ी पर

शिक्षक ही नहीं रहे तो अब पढ़ायेगा कौन ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) किसी देश-समाज का सत्यानाश होना हो तो उसकी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करना मात्र ही काफ़ी होता है, बाकी काम तो अपने आप ही हो जायेगा। यही काम हरियाणा व केन्द्र सरकार अपने स्तर पर पूरे जोर से करने में जुटी हैं। सरकारें की जनविरोधी शिक्षा नीतियों का ही परिणाम है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा गत माह आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठे 347272 परीक्षार्थियों में से मात्र 15420 ही पास हो पाये, यानी कि मात्र 4.58 प्रतिशत।

इसका अर्थ यह हुआ कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के योग्य, मात्र 15420 शिक्षक ही इस परीक्षा से उपलब्ध हो पाये। यह बात अलग है कि उक्त, योग्य घोषित होने वालों का मूल्यांकन कितना सही या ग़लत हुआ, कितनों ने यह परीक्षा हेरा-फ़ेरी से पास की। दूसरी ओर राज्य के सरकारी स्कूलों में 30 000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। सेवा-निवृति के चलते यह संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

विचारणीय गंभीर प्रश्न यह है कि इस परीक्षा में 95 प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी फेल क्यों हुए ? उत्तर बड़ा स्पष्ट है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लगभग समाप्त हो चुकी है। नौवीं जमात तक किसी को भी फेल नहीं करना, सभी को बिना पढ़ाये पास करना। परिणामस्वरूप दसवीं में तमाम हेरा-फ़ेरी, खुली नकलबाज़ी के बावजूद, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 38 प्रतिशत ही पास होते हैं। जबकि वास्तविक पास प्रतिशत तो 15 से भी कम है।

असली दु:ख की बात तो यह है कि इतनी कम संख्या में पास होने वालों को भी आता-जाता कुछ नहीं है। स्कूल के बाद कॉलेजों और गली-गली में खुल चुके विश्व विद्यालयों का हाल भी स्कूलों से कोई बेहतर नहीं है।

शेष पेज 2 पर

पात्रता परीक्षा का ड्रामा

साल में दो बार आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा इस बार जून माह में आयोजित की गयी थी। करीब पौनेचार लाख परीक्षार्थियों को इसके लिये खूब छकाया गया। फ़रीदाबाद में रहने वालों को यमुनानगर, यमुनानगर वालों को हिसार, सिरसा वालों को फ़रीदाबाद आदि स्थानों पर परीक्षा के लिये बुलाया गया। इन परिक्षार्थियों में से आधे के करीब लड़कियां भी होती हैं।

असुरक्षा के माहौल में इनके साथ एक अभिभावक चलना भी जरूरी है। इस हिसाब से परीक्षा वाले दिन करीब 7 लाख लोगों को हरियाणा में इधर से उधर दौड़ाया गया। राज्य की जर्जर सड़क एवं परिवहन व्यवस्था, जिसमें सामान्य दिनों में ही यात्रा करना आसान नहीं इतने अतिरिक्त यात्रियों ने यात्रा कैसे की होगी यह उन परीक्षार्थियों का दिल ही जानता है। यात्रा के बाद दूर दराज के अनजान शहरों में ठहरने का ठिकाना भी कोई आसानी से नहीं मिलता। ऐसे में होटलों व धर्मशालाओं ने भी खूब कमाई की। एक दिन पहले परीक्षा-केन्द्रों पर पहुंचना इसलिये जरूरी था कि परिवहन व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। न जाने कहां बस बिगड़ जाये और कहां सड़क पर जाम लग जाये।

परीक्षार्थियों को इस तरह से छकाने के पीछे सरकार का तर्क यह समझा जाता है कि दूर-दराज के शहर में परीक्षार्थी कोई हेरा-फ़ेरी एवं नकलबाजी नहीं कर सकेंगे। यदि सरकार के इस लचर तर्क में दम है तो फ़िर तमाम बोर्ड व विश्व-विद्यालयों की परीक्षायें भी इसी तर्ज पर करानी चाहिए।

मिड–डे–मील : नोट और वोट बटोरने का एक सरल तरीका

मिड-डे-मिल यानी सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन। देश भर के सरकारी स्कूलों में न तो ढंग के भवन हैं, (राजधानी दिल्ली जैसे शहर में तम्बूओं में स्कूल चलते हैं) न बच्चों के बैठने के लिये बेंच तो छोड़िये टाट पट्टियां तक नहीं हैं और देश भर में 12 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। स्कूल की झाड़-बुहार भी बच्चे स्वयं करते हैं। शौचालय न होने की वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता।

पढ़ाई जैसी मौलिक आवश्यकता को पूरा करने के बजाये लाखों करोड़ रुपया इस मिड-डे-मील के नाम पर खर्च करने का मकसद क्या हो सकता है ? केवल ग़रीब लोगों को बेवकूफ़ बना कर वोट बटोरना तथा राशन खरीद की आड़ में मोटी लूट करना; क्योंकि यह तो तय है कि कोई भी सरकारी काम बिना लूट-घसूट व घोटाले के तो हो ही नहीं सकता। स्कूली भोजन की इस परियोजना से सरकार दोहरा घोटाला कर रही है। एक तो एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद कर सड़ाये गये अनाज को ठिकाने लगाना दूसरा इसकी बिक्री तथा अन्य सामान की खरीद में धांधली के द्वारा। मिड-डे-मील खाकर बिहार में हुई वारदात कोई पहली या अन्तिम नहीं है। हां, इतनी बड़ी संख्या में अब तक बच्चे नहीं मरे वह बात अलग है। कोई दिन ऐसा न जाता होगा जिस दिन इस भोजन योजना से बच्चों के बीमार होने की खबर न आती हो, भोजन में सांप, बिच्छू व कीड़े आदि न निकलते हों। इतना सब होने, बार बार किसी बड़ी अनहोनी की दस्तकें आने के बावजूद बिहार में तीसीयों बच्चों का इस तरह मर जाना सरकार एवं व्यवस्था की संवेदनहीनता को ही दर्शाता है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार की एकमात्र इसी परियोजना में यह सब हो रहा है। 'जीवन की दो बूंदें' कही जाने वाली पल्स पोलियो से बच्चों द्वारा जीवन खोने के अनेकों उदाहरण पिछले दिनों सामने आये और बार-बार आये।

इसका शिकार भी केवल वही ग़रीब बच्चे होते हैं जिन्होंने सरकार द्वारा घर-घर भेजे गये दवा पिलाने वाले गैर ज़िम्मेदार लोगों पर भरोसा किया। सम्पन्न लोग कभी उन पर भरोसा नहीं करते। वे सदैव भरोसेमंद स्थानों से ही दवा पिलवाना उचित समझते हैं। इसी तरह आजकल सरकारी स्कूली बच्चों में खून की कमी को दूर करने के लिये आयरन की गोलियां दी जा रही हैं। इनको खाने के बाद भी बीमार होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। विदित है कि बच्चों में खून की कमी का मुख्य कारण कुपोषण है जिसका मूल कारण ग़रीबी व भूखमरी है। स्कूलों में दिया जाने वाला भोजन भी कोई पुष्टिकारक नहीं होता। न इसमें दूध होता है न अंडा या फल। होता है केवल सरकारी गोदामों से निकाला गया अर्द्ध-सड़ा अनाज व दालें इत्यादि।

शेष पेज 2 पर

ख़बर दार

मेडिकल दाखिले बेचने का खुला लाइसेंस जारी हुआ

सुप्रीम कोर्ट का छुरा : नागरिक की पीठ

दिल्ली, मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

मेडिकल शिक्षा के व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट के हाथों जैसी जबर्दस्त चोट भारतीय नागरिक की पीठ पर मारी है वह 'उफ़' तक नहीं करने दे रही है, जबकि घाव बेहद गहरा है और नासूर बनकर रिसता रहेगा। अपने कार्यकाल के अन्तिम दिन दिये गये फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की तीन सदस्यीय पीठ ने दो-एक से भारत सरकार द्वारा देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिये संयुक्त परीक्षा का प्रावधान निरस्त कर दिया। साथ ही प्राइवेट मुनाफ़ाखोर मेडिकल शिक्षा-व्यापारियों को पूरी तरह से सरकारी निर्देशों एवं निगरानी से मुक्त कर दिया गया है। इस तरह इस फ़ैसले के बाद ये व्यापारी जिसे चाहें और जिस भाव पर चाहें अपने कॉलेजों में दाखिला दे सकते हैं। जाहिर है अब इसके बाद हर सीट खुली नीलामी में बिकेगी।

अमूमन, मेरिट की दुहाई देकर अमीरों के हितों को प्रश्रय देने वाली सुप्रीम कोर्ट ने इस बार शर्म तो क्या बेशर्मी का लबादा ओढने की भी जरूरत महसूस नहीं की। जब स्वयं मुख्य न्यायाधीश ही आपराधिक षड़यन्त्र का हिस्सा हो तो रोके-टोके कौन ? कहते हैं इस सौदे में मेडिकल शिक्षा व्यापारियों ने 130 करोड़ रुपया का चढावा चढाया है। जानकारों का कहना है कि अल्तमस

कबीर की नीयत पर शक होने की वजह से पीठ के वह सदस्य जिन्होंने अल्पमत का असहमती वाला निर्णय दिया, चाहते थे कि मामले पर कबीर के सेवानिवृत होने के बाद ही निर्णय दिया जाये। पर कबीर और उसके बिके हुए साथी षड्यन्त्रकारी जज ने उन्हें घेर कर ऐसा नहीं करने दिया। यहां तक कि इस तरह का दिखावा किया गया कि वे दोनों भी शिक्षा-व्यापारियों के विरुद्ध ही फ़ैसला देने जा रहे हैं। पर अन्त में झांसे और चढावे के रास्ते से जो फ़ैसला सामने आया वह पूरी तरह बिका हुआ निकला।

ऐसा नहीं है कि फ़ैसले से पहले मुनाफ़ा-खोर व्यापारी मेडिकल सीटों को मनमाने ढंग से बेच नहीं रहे थे। इसके लिये पूरे देश में बिचौलियों और दलालों की सक्रियता उन दिनों देखी जा सकती थी जब स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले का दौर आता। स्नातक सीटें 20 से 80 लाख और स्नातकोत्तर सीटें 80 लाख से 2 करोड़ तक में बिकती रही हैं। यानी जेबें तो पहले भी कट ही रही थीं पर अब फ़ैसले की छुरी भी पीठ घुस गयी है। यह तो है पैसे दे सकने वालों का हाल। जो मेहनत और लगन के दम पर डॉक्टर बनना चाहते थे उन्हें हल्की सी आशा होती थी कि शिक्षा व्यापारियों के ताने-बाने से बच रही चंद सीटों में शायद उनका नम्बर आ जाये।

शेष पेज 2 पर